

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर  
(जी.3. राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)

क्रमांक : F.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.-2020 (1205)/20/1304-05 दिनांक :-20/7/2021

आयुक्त,  
नगर निगम, समस्त।

आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी,  
नगर परिषद/नगर पालिका,  
समस्त।

विषय:- राजस्थान मॉडल भवन विनियम-2020 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण की गतिविधियों को रेग्युलेट किये जाने के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत नवीन मॉडल भवन विनियम "मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020" की प्रति विभागीय आदेश क्रमांक 401-02 दिनांक 25.02.2021 द्वारा उपलब्ध कराकर समस्त नगरीय निकायों में लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्तमान में प्रस्तावित प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में भवन निर्माण संबंधित गतिविधियों के सुचारु संचालन के दृष्टिगत मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 की प्रति पुनः प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रति माननीय सांसदगण, विधायक, सभापति/महापौर, निकाय की भवन मानचित्र समिति, समस्त पार्षदगण व अन्य जनप्रतिनिधि को उपलब्ध करवाई जावे।

मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2020 की प्रति विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है, जोकि निम्न लिंक से डॉउनलोड की जा सकती है।

<http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/raj/udh/lsg-jaipur/en/OnlineServices.html>

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


  
(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक :-

क्रमांक : F.59 STP/DLB/मॉ.रा.भ.वि.-2020 (1205)/20/1306-1380  
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
9. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

  
(राजेश कुमार तुलारा)  
अति. मुख्य नगर नियोजक